''जिला शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं उप शिक्षा अधिकारियों का शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन पर दो दिवसीय राज्य सम्मेलन''

दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 से दिनांक 16 दिसम्बर, 2015

आयोजन स्थलः

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, हरिद्वार रोड़ देहरादून।

आयोजक

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय(न्यूपा), नई दिल्ली

एवं

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान(सीमैट) उत्तराखण्ड देहरादून

विवरणिका

क्र.स. शीर्षक

1. पृष्ठभूमि (Background)
2. राज्य सम्मेलन के उद्देश्य
3. लक्ष्य समूह (Target group)

प्रतिवेदन आख्या

4. प्रथम दिवस : दिनांक–15 दिसम्बर, 2015

- पंजीकरण
- परिचय एवं शुभारंभ
- प्रथम सत्र – Development of Elementary Education in India: where do we Stand तथा Educational Planning and Convergence at District Level
- द्वितीय सत्र – निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009
- तृतीय सत्र –Role of Educational Administrator as Facilitator.
- चतुर्थ सत्र – समूह कार्य का परिचय

5. द्वितीय दिवस : दिनांक–16 दिसम्बर, 2015

- प्रथम सत्र – Role of Data in Educational Planning and Management : Case of Uttarakahand.
- द्वितीय सत्र –Monitoring Quality and Strengthening of schools.
- तृतीय सत्र – Innovations and Role of Leaders
- चतुर्थ सत्र – समूह कार्यों की प्रस्तुति

संलग्नक 1 : सम्मेलन कार्यक्रम

संलग्नक 2 : पंजीकरण प्रपत्र

संलग्नक 3 : प्रश्नावली

संलग्नक 4 : विभिन्न सत्रों से संबंधित पी0पी0टी0

पृष्ठभूमि (**Background**)

हाल के वर्षों में विद्यालयों, अध्यापकों एवं प्रशासनिक अभिकर्मियों की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ शैक्षिक सुविधाओं का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ है। साक्षरता में वृद्धि के फलस्वरूप विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता की माँग तथा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सभी स्तरों पर बच्चों के नामांकन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के निरन्तर एवं व्यापक प्रयास से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों यथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0), आन्ध्र प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा प्रोजेक्ट (ए0पी0पी0ई0पी0), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (यू0पी0बी0ई0पी0), बिहार शिक्षा प्रोजेक्ट (बी0ई0पी0), लोक जुंबिश, महिला समाख्या, शिक्षाकर्मी आदि के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा के विस्तार हेतु प्रयास किए गए हैं। इससे न केवल विद्यालयों में बच्चों की पहुँच व सहभागिता में सुधार हुआ अपितु समस्त राज्यों में विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शैक्षिक प्रशासकों, हितधारकों एवं सेवा प्रदाताओं के समक्ष कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 (P.O.A.1992) के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, समुदायों व समुदाय आधारित संगठनों जैसे ग्राम शिक्षा समिति, अध्यापक अभिभावक संघ एवं विद्यालय प्रबंधन समिति आदि को शामिल करते हुए शैक्षिक प्रशासन को विकेन्द्रीकृत किए जाने पर बल दिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act-2009) के अस्तित्व में आने से विद्यालय विकास योजना के निर्माण में विद्यालय प्रबंध समितियों की प्रतिभागिता भी अनिवार्य हो गई है। इसके फलस्वरूप समस्त हितधारकों की भूमिका व उत्तरदायित्वों में वृद्धि के साथ ही स्थानीय व विद्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों की भूमिकाएँ और भी अधिक जटिल व चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। शैक्षिक अधिकारियों से न केवल शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा की जा रही है अपितु उन्हें विद्यालय संबंधी समस्त क्रियाकलापों व शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत महत्वपूर्ण निर्णय ले सकने में समर्थ होना भी आवश्यक हो गया है।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की निर्धारित समयावधि में प्राप्ति की दृष्टि से

शैक्षिक व्यवस्था एवं प्रशासन विषयक कार्यों में और भी जटिलता उत्पन्न हो गई है। इसके दृष्टिगत शैक्षिक प्रशासकों विशेष रूप से जनपद व विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों के क्षमता संवर्धन की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग से यह सतत प्रयत्न किया जा रहा है कि राज्य स्तरीय अधिकारियों यथा शैक्षिक नियोजकों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों के क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन एवं सतत् संवाद के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। जनपद व विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत शिक्षा अधिकारियों से अविरल, सशक्त एवं स्थायी संवाद बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) नई दिल्ली व राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) उत्तराखण्ड, देहरादून के संयुक्त प्रयासों से जिला शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं उपशिक्षा अधिकारियों हेतु दिनांक 15 से 16 दिसम्बर, 2015 को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

राज्य सम्मेलन के उद्देश्य –

1. जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यरत शैक्षिक प्रशासकों की भूमिकाओं पर परिचर्चा।
2. शैक्षिक प्रशासकों को उनके कार्यक्षेत्र संबंधी भूमिका से परिचित कराना, शैक्षिक नीति संबंधी जटिल मुद्दों, नियोजन व प्रशासन के संबंध में एक सशक्त नेतृत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति समझ का विकास करना।
3. शिक्षा नीति, नियोजन एवं प्रशासन, आर0टी0ई0 एक्ट, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं एस0एस0ए0 के विभिन्न संदर्भों को केन्द्र में रखते हुए शैक्षिक विकास के वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट करना।
4. विषयवस्तु आधारित क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना।

5. जनपद, विकासखण्ड एवं विद्यालय स्तर पर प्राप्त अनुभवों की साझेदारी हेतु अवसर प्रदान करना।

लक्ष्य समूह (**Target group**)–

जिला शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी

प्रतिवेदन / आख्या

जिला शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं उप शिक्षा अधिकारियों के दो दिवसीय राज्य सम्मेलन का राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) नई दिल्ली व राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को शुभारंभ हुआ। उक्त दो दिवसीय राज्य सम्मेलन में शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित प्रस्तुतीकरण चर्चा के द्वारा सत्र संचालित करने के साथ–साथ प्रतिभागियों से समूह कार्य भी करवाए गए। उक्त संबंधी दिवसवार एवं सत्रवार आख्या निम्नवत है :–

प्रथम दिवस : दिनांक–15 दिसम्बर, 2015

पंजीकरण (**9.00-10.15 am**)

प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों के राज्य सम्मेलन के आयोजन स्थल भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के सभागार में ठीक 9 बजे पूर्वाहन से प्रतिभागियों का पंजीकरण प्रारंभ हुआ। इस सत्र में उन्हें पंजीकरण प्रपत्र (संलग्नक 1) की प्रविष्टियाँ पूरित करवाई गई। इसके साथ–साथ उन्हें एक प्रश्नावली (संलग्नक 2) भी पूरित करने के लिए दी गई। इस प्रश्नावली में व्यक्तिगत सूचना, शिक्षक प्रबंधन, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, प्रबंधन, अकादमिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, निरीक्षण व पर्यावेक्षण संबंधी बिंदु थे जिन पर प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की जानी थी। पंजीकरण प्रपत्र एवं प्रश्नावलियों को पूरित करवाने के उपरांत उद्घाटन सत्र का शुभारंभ हुआ।

पंजीकरण करते हुए सीमैट संकाय के सदस्य

परिचय एवं शुभारंभ – **(10.15am - 12.00 pm)**

निदेशक अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण डॉ0 कुसुम पन्त द्वारा परिचय सत्र में समस्त अधिकारियों, अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों एवं मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस सत्र में शिक्षा अधिकारियों के इस दो दिवसीय सम्मेलन पर संबोधन के उपरांत प्रतिभागियों द्वारा अपना–अपना परिचय दिया गया।

शुभारंभ सत्र में मुख्य अतिथि माननीय मुख्य मंत्री श्री हरीश रावत का स्वागत के उपरांत किया गया व स्वागत के उपरांत उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथ, विशिष्ट अतिथि एवं वरिष्ठ अधिकारी

मुख्य अतिथि का स्वागत

इस दौरान विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकार उपस्थित थे। इसके उपरांत सचिव विद्यालयी शिक्षा श्री डी. सेंथिल पांडियन द्वारा स्वागत उद्बोधन किया गया। इस अवसर पर सीमैट उत्तराखण्ड द्वारा विकसित प्रशिक्षण संदर्शिका "प्रबोध–2" का विमोचन मुख्य अतिथि माननीय मुख्य मंत्री श्री हरीश रावत, विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा श्री एस0 राजू, सचिव विद्यालयी शिक्षा श्री डी0 सेंथिल पांडियन, अपर सचिव प्रारंभिक शिक्षा मैडम रंजना वर्मा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर0के0 कुँवर, राज्य सम्मेलन

सीमैट की प्रशिक्षण संदर्शिका प्रबोध–2 का संयुक्त रूप से विमोचन

के समन्वयक प्रोफेसर वी0के0 पण्डा न्यूपा, प्रोफेसर नजमा अख्तर न्यूपा एवं प्रोफेसर एस0एम0आई0 जैदी न्यूपा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

शुभारंभ सत्र में अपर मुख्य सचिव, श्री एस. राजू, प्रोफेसर नजमा अख्तर विभागाध्यक्ष, न्यूपा, विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी व मुख्य अतिथि माननीय मुख्य मंत्री श्री हरीश रावत द्वारा सभा का संबोधित किया गया। उक्त संबंधी विवरण निम्नवत है :–

अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा द्वारा उद्‌बोधन

अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा द्वारा संबोधन

सम्मेलन के शुभारंभ सत्र में अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा श्री एस0 राजू द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता, अनुश्रवण, जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ व सुझाव प्रदान किए गए। अपने उद्‌बोधन में उन्होंने कहा कि विद्यालयों को संसाधनयुक्त किए जाने के गंभीर प्रयास किए गए हैं जो लगातार जारी हैं। अब गुणवत्ता सर्वोपरि मुद्‌दा है। हर स्तर पर यह सबकी जवाबदेही व उत्तरदायित्व है कि गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित किए जाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएँ। विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण इस हेतु महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता एवं निर्धारित उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए सबकी प्रतिबद्‌धता अनिवार्य है। बिना प्रतिबद्‌धता व समर्पण के यह संभव नहीं है।

उद्‌बोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु पारदर्शी नीति बनाई गई है ताकि पारदर्शिता के साथ नियमानुसार स्थानांतरण संबंद्‌धीकरण प्रक्रिया अमल में लाई जा सके। अपने उद्‌बोधन में उन्होंने सुझाव दिया कि

अधिकारियों को स्थानांतरण एवं संबद्धीकरण के संदर्भ में नियमानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि विद्यालयों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु उपशिक्षा अधिकारी से लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी तक सभी उत्तरदायी व जवाबदेह होंगे क्योंकि गुणवत्ता सुधार हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है।

सचिव विद्यालयी शिक्षा द्वारा उद्बोधनः–

सचिव विद्यालयी शिक्षा द्वारा उद्बोधन

सचिव विद्यायली शिक्षा श्री डी0 सेंथिल पाण्डियन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की वर्तमान शैक्षिक स्थिति एवं उपलब्धियों पर महत्वपूर्ण जानकारियों की साझेदारी की गई। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने व इसे सतत् बनाए रखने हेतु भौतिक संसाधन, मानव शक्ति (Man Power) व कौशल (Skill) विकास जरूरी हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विभागीय निर्देशों के अनुरूप विद्यालयों की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों की तैनाती, उपशिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से संकुल से लेकर जनपद स्तर तक मानव शक्ति (Man Power) की कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया है। उनके द्वारा ध्यान केंद्रित करवाया गया कि अब कौशल विकास तथा विद्यालय विकास योजना पर समुचित ध्यान दिए जाने की भी आवश्यकता है।

इनके द्वारा अवगत करवाया गया कि व्यवस्था को सही व प्रभावी ढंग से चलाए रखने हेतु राज्य में अध्यापकों के गुणांक के आधार पर पारदर्शिता के साथ स्थानांतरण नीति लागू की गई है। गुणवत्ता सुधार हेतु अनुश्रवण के साथ समन्वय (Convergence) भी आवश्यक है। साथ ही हर एक अधिकारी को एक–एक ब्लॉक मेंटरिंग हेतु दिया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विद्यालयों में गणित किट का वितरण कर लिया गया है। अंग्रेजी विषय में भी इस पर कार्य किया गया है। यू–सैक के साथ मिलकर स्कूल मैपिंग हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग तैयार कर लिया गया है। इस दौरान मॉडल स्कूल, 'वोकेशनल कोर्स' व राष्ट्रीय शिक्षा नीति से

संबंधित प्रयासों पर विस्तारपूर्वक जानकारियों की साझेदारी की गई। अंत में उन्होंने कहा कि ब्लॉक व जनपद स्तर पर विद्यालय विकास योजना का निर्माण व इसका क्रियान्वयन अति महत्वपूर्ण है।

प्रोफेसर नजमा अख्तर विभागाध्यक्ष शिक्षा प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन विभाग न्यूपा द्वारा उद्‌बोधन–

इस सुअवसर पर न्यूपा से प्रोफेसर नजमा अख्तर द्वारा अभिव्यक्त किया गया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) नई दिल्ली एवं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) उत्तराखण्ड देहरादून के संयुक्त एवं सहयोगात्मक प्रयासों से आयोजित किया गया है। न्यूपा में एक वर्ष पूर्व इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों (Trends), भूमिका व लीडरशिप पर शिक्षा अधिकारियों की सूझ विकसित की जाए। इस प्रकार का कार्यक्रम 18 राज्यों में कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) इस प्रकार के कार्यक्रमों में सहायता हेतु तत्पर है। न्यूपा द्वारा शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके संबंधित क्षेत्रों में क्षमता संवर्द्धन की अपार संभावनाएँ हैं। अतः हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) एवं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) के संयुक्त प्रयासों से भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

प्रो0 नजमा अख्तर द्वारा कार्यक्रम की जानकारी

उक्त सत्र की अध्यक्षता निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर0के0कुँवर द्वारा की गई।

विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी का उद्‌बोधनः–

विशिष्ट अतिथि द्वारा उदबोधन

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा कहा गया कि समग्र प्रयासों से शिक्षा विभाग एक सुव्यवस्थित ढर्रे पर आ रहा है। शिक्षा को केवल पढ़ने तक चलाना ही सार्थकता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। वर्तमान समय की माँग है कि जीवनोपयोगी एवं मूल्य आधारित तथा गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि कैब बैठक में राज्य की स्थानांतरण नीति को सराहना मिली है। साथ ही उन्होंने इस बात को उजागर किया कि राज्य की एक 'State Education Training Policy' अवश्य हो। साथ ही उन्होंने अपने उद्‌गार व्यक्त किए कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के सहयोग से राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) उत्तराखण्ड को एक क्षेत्रीय केंद्र (Regional Centre) के रूप में विकसित किया जाए। इससे राज्य में नए प्रतिमान व आयाम विकसित होंगे। विशिष्ट अतिथि महोदय द्वारा कहा गया कि ब्लॉक स्तर पर कमियों व त्रुटियों को दूर करके ही गुणवत्ता आएगी व अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे।

मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत का उद्‌बोधनः–

मुख्य अतिथि द्वारा उद्‌बोधन

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा शिक्षा अधिकारियों को संबोधित किया गया व उनके द्वारा अपने महत्वपूर्ण विचारों, सुझावों और अपेक्षाओं की निम्नवत प्रकार से साझेदारी की गई। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर शिक्षा व कृषि में सर्वाधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपेक्षा की कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) व राज्य

शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) मिलकर कार्य करें तो कार्य सरल हो जाएगा। सिनर्जी आधारित परिणाम उत्तम होता है। शिक्षकों के साथ–साथ समाज से भी अपेक्षा है। गुणवत्ता व प्रतिस्पर्धात्मकता पर महत्व दिया जाना आवश्यक है। सबसे ज्यादा निवेश शिक्षा पर है। उत्तराखण्ड राज्य छोटा राज्य है व इसका भविष्य शिक्षा पर है। अतः शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। राज्य हेतु एक प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप तैयार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा में अनुमोदित बजट के अतिरिक्त 1 प्रतिशत सेस लगाने पर भी सोचा जा रहा है ताकि बजट की कोई कमी न हो। प्रारंभिक चरण में प्रभावों का आकलन नहीं होता है। यदि दो–तीन सालों में परिणामों का पता चले तो तभी किसी कार्यक्रम के प्रभाव का पता चलता है। क्षमता पहचान व अभिवृद्धि, काउंसलिंग व मोनीटरिंग हेतु सीमैट द्वारा विभिन्न कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। न्यूपा के साथ मिलकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मॉनीटरिंग का रोडमैप तैयार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सुझाया कि हर तीसरे–चौथे महीने सी0आर0सी0, बी0आर0सी0 समन्वयकों व शिक्षा अधिकारियों का पुनः अभिमुखीकरण होना चाहिए। मूल्यांकन को प्रभावी बनाया जाना समय की माँग के साथ आवश्कता भी है। छात्रों के निदान व उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान देना व उस अनुरूप कार्ययोजना बनाना सार्थक है। समितियों के साथ सिनर्जी व संबंध के साथ ही इनसे अध्यापक व बच्चों के बारे में बात करने से मधुर संबंध कायम होंगे। विद्यालयों में स्कूल ड्रॉपआउट रजिस्टर बनाना महत्वपूर्ण है। छोटे–छोटे मॉड्यूल बनाकर, छोटे–छोटे व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर समाज की उन्नति में योगदान दिया जा सकता है।

प्रथम सत्र **(12.30pm-13.30 pm)**

प्रथम सत्र में न्यूपा से विभागाध्यक्ष शैक्षिक नियोजन प्रो0 एस0एम0आई0ए0 जैदी द्वारा "Development of Elementary Education in India: where do we Stand" पर पी0पी0टी0 के माध्यम से विद्यालय संबंधित सूचकांक पर चर्चा की। इसके साथ ही उनके द्वारा "Educational

प्रो0 जैदी द्वारा शैक्षिक नियोजन पर परिचर्चा

Planning and Convergence at District Level" पर सत्र संचालित किया गया।
इस सत्र के दौरान उन्होंने शैक्षिक नियोजन की परिभाषा, महत्व, आवश्यकता, वर्तमान स्वरूप, विकेद्रीकृत नियोजन व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूझ विकसित की। इस बीच उन्होंने निम्नानुसार लक्ष्य समूह को संवेदित किया–

Development of Elementary Education in India: Where do we Stand-

- Development of elementary education
- School related items/indicators and findings.
- Teacher related indicators and findings.
- Indicators related to facilities in schools
- Participation and efficiency indicators.
- Education Development Index(EDI)
- EDI values and ranks for 2013-14 position of Uttarakhand in the country.

इस दौरान उनके द्वारा यह बात स्पष्ट की गई कि प्रति 1000 बच्चों पर स्कूल संख्या, विद्यालय प्रबंधन समिति वाले विद्यालयों का प्रतिशत, औसत कक्षा कक्ष अनुपात में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा है लेकिन समग्र रूप से विद्यालय संबंधी सूचकांकों से संबंधित प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कम है। अध्यापक से संबंधित सूचकांकों में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से आंशिक रूप से ऊपर है। इसमें सुधार की संभावनाएँ हैं। यह अच्छी बात है कि महिला अध्यापक वाले स्कूलों की प्रतिशतता, पी0टी0आर0, प्रतिशत नियमित अध्यापकों में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड में विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, बाउंड्रीवाल, कम्प्यूटर्स, पुस्तकालय, किचन शेड, मध्याह्न भोजन आदि सूचकांकों में उत्तराखण्ड राष्ट्रीय औसत से ऊपर है व देश में आगे है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर प्रभाविता संबंधी सूचकांक (ट्रांजिशन दर, रिपिटीशन दर, ड्रॉपआउट दर, रिटेशन दर) में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। प्रारंभिक शिक्षा में उत्तराखण्ड की सहभागिता आंशिक रूप से राष्ट्रीय स्तर से कम है जबकि उत्तराखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा तंत्र देश में अन्य की तुलना में

आंशिक रूप में अधिक प्रभावी है। उन्होंने यह भी बात कि 24 सूचकांकों के समूह का Education Development India (EDI) हेतु उपयोग किया जाता है। इन सूचकांकों को चार घटकों में बाँटा गया है :– पहुँच (Access), अवस्थापना (Infrastructure), अध्यापक (Teachers) व परिणाम (Outcome)

Educational Planning at District Level in India-

- Educational planning: Definition
- Multilevel planning
- District planning in education
- Important points regarding district planning in education.
- Advantages of district planning in education some challenges.

नियोजन पर उन्होंने व्याख्या की यह भावी क्रियाकलापों के संदर्भ में निर्णस लेने की प्रक्रिया है ताकि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। इसके साथ ही यह बताया गया कि विभिन्न स्तरों पर नियोजन व निर्णय लेना बहुस्तरीय नियोजन है। उक्त नियोजन निम्न स्तर पर हो सकता है :– राष्ट्रीय, राज्य जनपद, ब्लॉक, संकुल, गाँव व संस्था स्तर। उक्त स्तरों पर नियोजन प्रारंभिक शिक्षा कारगर है। जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा वैसे–वैसे स्तरों की संख्या कम होगी।

उनके द्वारा जनपद स्तर पर शैक्षिक नियोजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही जनपदस्तरीय शैक्षिक नियोजन संबंधी बाधाओं, इसका क्षेत्र व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी साझा की गई। अंत में कहा गया कि एक "Bottomup Approch" लागू किया जाना आवश्यक है। जो विद्यालय स्तर से शुरू हो। जो विद्यालय विकास स्तर से शुरू हो अतः विद्यालय विकास योजना (SDP/SIP) इसका प्रथम चरण है।

(पी0पी0टी0 संलग्न है।)

द्वितीय सत्र **(14.30 pm - 15.30 pm)**

द्वितीय सत्र में अपर राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान डॉ0 मुकुल कुमार सती द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर

महत्वपूर्ण जारकारियों की साझेदारी की गई। इस सत्र में यह स्पष्ट किया गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी क्रम में संसद में 4 अगस्त, 2009 को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 पारित किया गया तथा राष्ट्रपति के अनुमोदनोपरान्त 27 अगस्त, 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के दायित्वों को निर्धारित करता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खण्ड हैं।

इसके उपरांत उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित मुख्य प्रावधान यथा प्रस्तावना, विद्यालय एवं अध्यापक के दायित्व, कैपिटेशन शुल्क, विद्यालयों हेतु मानक एवं मानदण्ड, विद्यालय विकास योजना, अध्यापकों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया तथा शिकायतों का निस्तारण करने की प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्रदान की। साथ ही उनके द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य द्वारा की गई पहलों पर महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया।

(पी0पी0टी0 संलग्न)

तृतीय सत्र **(15.45 pm - 16.45 pm)**

तृतीय सत्र में इस राज्य सम्मेलन के समन्वयक प्रो0वी0के0 पण्डा न्यूपा द्वारा 'Role of Educational Administrator as Facilitator' पर महत्वपूर्ण जानकारियों की साझेदारी की गई।

सम्मेलन के राज्य समन्वयक प्रो0 पण्डा द्वारा प्रतिभागियों के साथ विचारों की साझेदारी

उत्तराखण्ड राज्य की विविध (Diversified) भौगोलिक, सांस्कृतिक व अन्य परम्पराएँ हैं। यह विविधिता अपनेआप में एक बहुत बड़ा संसाधन है जिसे शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित कर राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। इस हेतु हर स्तर पर कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन जरूरी है। यह तभी संभव है जब शैक्षिक प्रशासन एक फैसिलिटेटर (सुलभकर्ता) के रूप में अपनी–अपनी भूमिकाओं का प्रभावी ढंग से निर्वहन करें। हमारी कार्यशैली ऐसी हो कि हमारी स्वीकार्यता हो तभी सही मायने में हम फैसिलिटेटर के रूप में उत्कृष्ट नेतृत्व व प्रशासन दे पाएँगे। इसी को ध्यान में रखकर इस सत्र में उन्होंने एक प्रशासक व सुलभकर्ता (फैसलिटेटर) को बखूबी परिभाषित किया साथ ही इनके उत्तरदायित्वों, भूमिकाओं की ओर समूह का ध्यान केन्द्रित किया। उनके द्वारा एक सूझ विकसित करने का प्रयास किया कि शैक्षिक प्रशासकों को एक प्रशासक, अकादमिक व नियोजक के रूप में भूमिकाओं का निर्वहन किया जाना महत्वपूर्ण है तभी शैक्षिक उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। साथ ही निचले स्तर पर नियोजन का एक सुव्यवस्थित स्वरूप होना आवश्यक है। समुचित नियोजन से ही उत्पादकता के साथ–साथ अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अतः हर स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का सहज व प्रभावी होना अनिवार्य है। उक्त सत्र की अध्यक्षता निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा की गई।

चतुर्थ सत्र **(17.15pm- 17.45 pm)**

इस सत्र में न्यूपा से मैडम मोना सेदवाल द्वारा समूह कार्य का परिचय, इसका औचित्य, थीम व समूह निर्माण पर साझेदारी की गई। तत्पश्चात् प्रतिभागियों को जनपदवार चार समूहों में बाँटकर समूह कार्य हेतु निम्नवत शीर्षक आबंटित किए गए–

मैडम सेदवाल द्वारा समूह कार्य आवंटन एवं निर्देश

समूह 1: Role of Head Teachers, Principals and BEOs in Improving the School Management. (Dehradun, Haridwar, Chamoli and Uttarakshi)

समूह 2: Strengthening the Role of BRCCs and CRCCs in their Role in Capacity Building of Personnel in Education. (Rudraprayag, Tehri Garhwal, Pauri Garhwal)

समूह 3: Innovative Practices in District Level Educational Management: Some Case Studies.(Almora, Nainital and Bageshwar)

समूह 4: Problems Being Faced by DEOs, BEOs and their Training Needs. (Pithoragarh, Champawat, USNagar)

समूह कार्य का मंतव्य शैक्षिक प्रशासकों को निचले स्तर पर रूबरू होने व अपनी भूमिका की पहचान तथा विभिन्न मुद्दों के दृष्टिगत उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करना था। साथ ही अनुभवों की साझेदारी हेतु मंच प्रदान कराना भी उक्त का उद्देश्य था।

समूह निर्माण की विशेषताएँ–

- समूह निर्माण में एक जनपद के सभी शिक्षा अधिकारियों को उसी समूह में रखा गया।
- प्रस्तुतिकरण 15 मिनट की समयावधि का रखा गया।
- पावर प्वाइंट प्रस्तुति 6 स्लाइड्स से अधिक न होने को कहा गया।

द्वितीय दिवस दिनांक– 16 दिसम्बर, 2015

प्रथम सत्र – **(9.30 am - 10.30 am)**

द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में "Role of Data in Educational Planning and Management : Case of Uttarakahand" पर ई0एम0आई0एस विशेषज्ञ श्री अमोली द्वारा सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि यह वह क्षेत्र है जिस पर सर्वाधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। निचले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु आँकड़ों का सही रखरखाव, फीडिंग व विश्लेषण आवश्यक है तभी आवश्क्तानुरूप योजना बनाने में सहायता मिलेगी। इस सत्र में निम्न बिन्दुओं पर साझेदारी की गईः–

- Uttarakhand An introduction.
- Important Statistics of the state.
- Planning Definition and steps involved.
- Diagnosis of educational situation and target setting.
- Interventions and strategies.
- Costing and Budget Preparation.
- Implementation and monitoring.
- State Education Profile.

द्वितीय सत्र – **(10.45 am - 12.00 pm)**

द्वितीय सत्र में अपर निदेशक सीमैट श्री एस0बी0 जोशी द्वारा "Monitoring Quality and Strengthening of schools" पर महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया गया।

अपर निदेशक सीमैट द्वारा गुणवत्ता अनुश्रवण पर जानकारियों की साझेदारी

इस सत्र में उन्होंने उपर्युक्त सम्बन्धी अवधारणा, शैक्षिक वृद्धि व अनुश्रण पर महत्वपूर्ण तथ्यों व जानकारियों की साझेदारी की तथा उन्होंने बिन्दुवार उक्त अवधारणाओं को स्पष्ट किया। उक्त संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत थे

- Concept
- Educational growth in elementary at secondary education.
- Monitoring of Rationalization process infrastructure, Supervision and support system, teaching learning process, education of deprived, community mobilization skilled human resource assessment and achievement level.

इस सत्र में विद्यालयों सुदृढ़ीकरण व गुणवत्ता सुधार हेतु निम्न चार घटक महत्वपूर्ण बताए गए :– समुचित संसाधनों की उपलब्धता, कौशलयुक्त मानव संसाधन, विभिन्न हितधारकों (स्टैकहोल्डर्स) से संबंध व समन्वय, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व अकादमिक अनुसमर्थन जब इन चार घटकों में तालमेल होगा तभी विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार व सुदृढ़ीकरण संभव है। इस हेतु हर स्तर पर जवाबदेही के साथ सकारात्मक प्रयास जरूरी है। तभी "Total Quality Schools" की अवधारणा साकार किया जा सकता है। उत्तराखण्ड राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के विकास पर भी महत्वपूर्ण जानकारियों की साझेदारी की गई।

इस दौरान स्थानांतरण, पदोन्नति, नियुक्ति, विद्यालय कोटिकरण, विद्यालयों की स्थिति व मैपिंग, नामांकन, आर0टी0ई0 प्रावधान आदि पर संचेतना जागृत की। इसके साथ ही परियोजनाओं में तकनीकी अनुसमर्थन, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन विकास समिति, पी0टी0ए0, सामाजिक अंकेक्षण (ऑडिट), आंतरिक व बाह्य अंकेक्षण, तृतीय पक्ष मूल्यांकन, पंचायत राज संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण, भ्रमण कार्यक्रम, ब्लॉक स्तर पर नियमित मासिक बैठक, औचक निरीक्षण, अकादमिक अनुसमर्थन सुदृढ़ किए जाने हेतु महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया।

इस सत्र में उन्होंने बालिका शिक्षा, अपवंचित समूह के बच्चों की शिक्षा हेतु पहल व मुस्कान कार्यक्रम पर भी जानकारी प्रदान की। इसी प्रकार सामुदायिक सहभागिता व गतिशीलता के अंतर्गत सपनों की उड़ान कार्यक्रम से भी अवगत कराया। अंत में मूल्यांकन प्रक्रिया, उपलब्धि स्तर, अधिगम स्तर आकलन (एल0एल0ए0) पर भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। सत्र के उपरांत शंकाओं का

समाधान निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर0के0कुँवर निदेशक अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण डॉ0 कुसुम पन्त द्वारा किया गया।

उक्त सत्र की अध्यक्षता अपर सचिव प्रांरभिक शिक्षा मैडम रंजना वर्मा द्वारा की गई।

अपर सचिव प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विचारों की साझेदारी–

अपर सचिव प्रारंभिक शिक्षा द्वारा कहा गया कि सभी स्तरों पर अनुश्रवण प्रक्रिया सृदृढ़ होनी चाहिए। हम अपने कार्यों को इस रूप में करें कि लोग हमारा अनुकरण करें, वे हमें फॉलो करें। अध्ययन सम्बन्धी आदत अवश्य हो तभी स्वीकार्यता होगी। विभिन्न ऐक्ट, नियमावलियों, शासनादेशों, परियोजना संबंधी जानकारी अवश्य हो। मॉनीटरिंग (अनुश्रवण) प्रक्रिया औपचारिक भर न हो। जब प्रभावी अनुश्रवण होगा तभी गुणवत्ता में सुधार होगा। विद्यालय संबंधी फीडबैक नहीं मिलता है। विद्यालय संबंधी समस्याओं को जरूर साझा करें तभी समाधान का रास्ता निकलेगा। शिक्षक अनुपस्थिति पर अंकुश लगाएँ। पहले तो कांउसलिंग करें फिर प्रेरित करें अन्यथा कार्यवाही करें। कक्षाकक्ष प्रक्रिया में शिक्षण तकनीकी को भी देखा जाए। विषयानुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने हेतु मॉनीटरिंग आवश्यक है। "Room to Read" जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं। हमें आशावादी बनना है। तथा हममे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना हो। यह बिना अभिप्रेरण के संभव नहीं। एक समानुभूति(Empathy) की भावना हो। हमें उन लोगों के लिए कार्य करना है जो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते।

अपर सचिव प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विचारों की साझेदारी

तृतीय सत्र – **(12.00 pm - 1.30 pm)**

तृतीय सत्र में "Innovations and Role of Leaders" पर प्रो0 नजमा अख्तर, न्यूपा द्वारा साझेदारी की गई। उन्होंने कहा कि न्यूनताओं (Gaps) की पहचान करना आवश्यक है तभी हमारी योजना प्रभावी सिद्ध होगी। इसके लिए छाटी–छोटी डिजर्टेशन तैयार की जा सकती हैं व न्यूपा से संवाद स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभिनव पहलों (नवाचार) के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य के तीन

शिक्षा अधिकारियों को भी अन्य के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पुरस्कृत शिक्षा अधिकारियों द्वारा समूह के साथ साझेदारी की गई।

बी.ई.ओ.श्री सारस्वत द्वारा नवाचारी कार्यों की साझेदारी

इसके अन्तर्गत सर्व प्रथम उत्तराखण्ड के बागेश्वर जनपद के गरुड़/कपकोट विकास खण्ड में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बाल सुझाव एवं बाल शिकायत पेटिका (Box File) प्रारंभ करने के साथ–साथ राजकीय प्राथमिक विद्याालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण का प्रारम्भ किया गया है। इसके साथ ही बहुभाषायी प्रार्थना सभाओं का संचालन भी किया जाता है। उक्त को खंड शिक्षा अधिकारी श्री आकाश सारस्वत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सी.ई.ओ. श्री कुलदीप गैरोला द्वारा नवाचारी कार्यों की साझेदारी

इसके उपरांत श्री कुलदीप गैरोला मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल दारा ñInnovations in School Administration as CEO District Pauriò पर प्रस्तुति की बई।इसमें पहले नवाचार ñHow is your school? Daily 5 ðknow howô phone calls by officersò एवं दूसरे नवाचार ñ15 Point Management Checklist for Schools Principal/Head Mastersò पर साझेदारी की गई। इसके पीछे यह भावना है कि संस्थाध्यक्ष स्वप्रेरित हो सकें व सुधार हेतु प्रतिबद्ध हों।

इसके बाद मैडम अख्तर द्वारा निम्नवत साझेदारी की गईः–

- नवाचारों की पहचान साक्ष्य आधारित हो।
- मीडिया व समुदाय की भी सहभागिता हो।
- छोटे–छोटे डिजर्टेशन्स(लघु शोध) के साथ–साथ न्यूपा से सतत संवाद किया जाए।
- अच्छे कार्यों की पहचान, अभिप्रेरणा व प्रोत्साहन आवश्यक है।
- इसमे सूचना प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

चतुर्थ सत्र – **(2.30 pm - 3.30 pm)**

समूह कार्यों की प्रस्तुति :–

चतुर्थ सत्र में प्रथम दिवस को आबंटित समूह कार्यों की प्रस्तुति की गई जिनका विवरण निम्नवत है :–

उपशि.अ. पूजा नेगी दानू द्वारा समूह प्रस्तुति

समूह : 1 विद्यालय प्रबंधन में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उपशिक्षा अधिकारियों की भूमिका

समूह : 1 द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया :–

- प्रबंधन की परिभाषा
- उद्देश्य
- विद्यालय प्रबंधन के पहलू
    - मानव संसाधन प्रबंधन
    - भौतिक संसाधन प्रबंधन
    - नियमों/सिद्धान्तों/विचारों का प्रबंधन
    - परिणाम
- प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा उपशिक्षा अधिकारियों के कर्तव्य

समूह : 2 **"Strengthening the Role of BRCCs and CRCCs in their Role in Capacity Building of Personnel in Education. (Rudraprayag, Tehri Garhwal, Pauri Garhwal"**

उपशि.अ. डॉ0 सुरेन्द्र सिंह नेगी द्वारा समूह प्रस्तुति

समूह : 2 के द्वारा प्रस्तुतीकरण में निम्न बिंदुओं व मुद्दों को उजागर किया गया :–

1. बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 की अवधारणा।
2. डी0जी0ई0पी0 व एस0एस0ए0 के दौरान इनकी भूमिका।
3. बी0आर0सी0, सी0आर0सी0 समन्वयकों के वास्तविक क्रियाकलाप।
4. शासकीय कार्यों के दौरान इनके वास्तविक क्रियाकलाप व मूलभूत क्रियाकलापों के मध्य टकराव।
5. शिक्षा तंत्र के विभिन्न हितधारकों का बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 की भूमिका की ओर अवधारण निर्माण।
6. डी0पी0ई0पी0 से एन0ई0पी0 2015 तक बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 की भूमिका के सुदृढ़ीकरण की अभी भी आवश्यकता।
7. बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 को विषयगत ज्ञान/शिक्षण व बाल अधिगम का समुचित ज्ञान होना चाहिए समुदाय के साथ कार्य करने हेतु कुशलता के साथ–साथ यह समझ कि किस प्रकार अध्यापकों व संस्थाध्यक्षों के साथ विद्यालय गुणवत्ता को विश्लेषित करने के संबंध में कार्य किया जाए।
8. अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने का कौशल साथ ही प्रशिक्षण डिजायन करना व उसका फॉलोअप।
9. ब्लॉक व संकुल संसाधन केंद्रों को प्रभावी व संसाधनयुक्त बनाना जिससे कक्षा शिक्षण व प्रशिक्षण संबंधी अनुसमर्थन दे सकें।
10. बी0आर0सी0/सी0आर0सी0 की भूमिका के सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव :–
    - एक पृथक काडर साथ ही नियुक्ति संबंधी नियम व प्रक्रिया स्थापित की जाए।
    - आयोजित योग्यताधारियों को नियुक्ति दी जाए।
    - विषय विशेषज्ञता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

समूह : 3 जनपद स्तरीय शैक्षिक प्रबंधन में नवाचारी अभ्यास :–

विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए समुदाय की भूमिका बहुत महत्व की है व इसे नकारा नहीं जा सकता। विद्यालय प्रबंधन में समुदाय को सक्रिय रूप से सम्मिलित किए जाने हेतु नियोजकों व अधिकारियों द्वारा विविध प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों को निम्न शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

1. नामांकन (Enrolment)
2. वित्तीय अनुसमर्थन (Financil Support)
3. अध्यापकों की कमी (Teachers Shortage)

इनमें से सरकारी स्कूलों में घटता नामांकन व अध्यापकों की कमी महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। दूसरी ओर किसी क्षेत्र की शैक्षिक सांख्यिकी को वित्तीय प्रावधान प्रभावित कर सकते हैं। अतएव इस संदर्भ में किए गए विशिष्ट नवाचारी अभ्यास मूल्यवान साबित हुए हैं :–

सर्व प्रथम नामांकन की बात की जाए तो इसके अंतर्गत प्रभावी सामुदायिक गतिशीलता व घर–घर संपर्क के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा चलाया गया विशिष्ट प्रयास सफल उदाहरण है जो शिक्षा अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वित/लागू किया गया। "जन–जन का प्रयास शिक्षा का विकास" एक प्रयास है जिससे अधिकारियों, अध्यापकों व बच्चों/छात्रों द्वारा रैलियों व अन्य जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा अपने क्षेत्र में घर–घर गए व लोगों को सरकारी स्कूलों में अपने पाल्यों को नामांकित करने हेतु प्रेरित किया। यह कार्यक्रम वास्तव में सफल रहा जिसके पश्चात् राज्य के कई स्कूलों में छात्र नामांकन बढ़ा।

इस हेतु कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ उपशिक्षा अधिकारी रूद्रपुर, बाजपुर, सल्ट व अन्य द्वारा किए गए प्रयासों से वे स्कूल पुनः खुल हैं जहाँ गत वर्ष शून्य नामांकन से वे बंद हो चुके थे। यह हमारे अधिकारियों द्वारा सामुदायिक गतिशीलता का सटीक उदाहरण है।

अकादिमक अनुसमर्थन हेतु स्वयं सेबक :

इसके अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में लोगों से समुचित वार्तालाप, संवाद द्वारा स्कूलों के अकादमिक अनुसमर्थन हेतु कई स्वयंसेवक उपलब्ध कराए गए। इनका खर्च समुदाय द्वारा वहन किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को शासकीय पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

वित्तीय अनुसमर्थन :

समुदाय को उनके स्थानीय परिसर में स्थित स्कूलों हेतु अपनत्व की भावना को विकसित किए जाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ समुदाय की गतिशीलता से कई समस्याओं को हल किया गया है। उदाहरण के लिए कई स्कूलों में समुदाय द्वारा फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर, पंखे, वाटरकूलर आदि उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार के उदाहरण प्रायः हर ब्लॉक में दृश्यमान हैं। कुछ ब्लॉक उदाहरण हेतु चम्पावत, लमगड़ा व बागेश्वर आदि हैं।

अध्यापक न्यूवता :

कई स्कूलों में अध्यापक न्यूवता का मुद्दा एक सकारात्मक तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। कई सेवानिवृत्त अध्यापक, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक तथा शिक्षित युवाओं को एक सामजिक उत्तरदायित्व के रूप में विद्यालयों को अकादमिक अनुसमर्थन हेतु उत्तरदायित्व लेने हेतु अभिप्रेरित किया जा सकता है।

यहाँ तक कि हमारे विभाग के कई अधिकारियों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में ऐसे स्कूलों को गोद लिया है। जिसके Privileged बच्चों को वित्तीय अनुसमर्थन आदि उदाहरण हैं। इस प्रकार के उदाहरण उपशिक्षा अधिकारी चम्पावत व कोटद्वार हैं।

बाल चौपाल :

गाँव के शिक्षित लोगों को प्रेरित किया जा सकता है बाल चौपाल संचालित करने हेतु जिसमें गाँव के वरिष्ठ सभी स्कूल जाने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों के साथ सांय में संगठित होकर बच्चों से संवाद स्थापित करें, अपने विद्यालय अनुभवों

को साझा करें व इस प्रकार अन्य को भी अपने वाल्यों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करें।

गेस्ट टीचर :

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर गेस्ट अध्यापकों की भर्ती भी काफी मददगार हो सकती है। उसी स्थानीय क्षेत्र से शिक्षित युवाओं को इस प्रकार नियुक्त करने से सामुदायिक अनुसमर्थन को बढ़ावा मिलेगा।

विद्यालय सुधार हेतु प्रभावी टीमवर्क

किसी भी कार्यक्रम की सफलता समग्र टीम के प्रभावी समन्वयन पर निर्भर है। इस हेतु प्रथम चीज प्रभावी संप्रेषण है जिसके समुचित व स्पष्ट निर्देश सम्मिलित हों। यदि निर्देश समुचित नहीं हैं व विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण में कमी है तो किसी कार्यक्रम के असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। विषयवार बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0 समन्यक नियुक्ति द्वारा एक प्रभावी टीम बनाई जा सकती है। इसके साथ ही सही कार्य संचालन हेतु जनपद स्तर पर आँकड़ों का समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। विद्यालय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के मध्य उचित समन्वयन से हमारे स्कूल सहज रूप से संचालित होंगे।

समूह : 4

जिला एवं विकासखण्ड अधिकारियों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याएँ तथा उनके प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता

- जिला अधिकारियों के समक्ष समस्याएँ
    - I. जिला स्तरीय अधिकारियों के वर्तमान संरचना की मूलभूत समस्या
    - II. विद्यालय के निरीक्षण के लिए संसाधनों की कमी
    - III. विधिक सलाहकार की कमी
    - IV. सूचना का अधिकार के निष्पादन हेतु मानव संसाधन की कमी
- विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों के समक्ष समस्याएँ
    - I. कार्यालय में मानवीय संसाधनों की समस्या
    - II. मूलभूत भौतिक अवसंरचनात्मक समस्याएँ

III. कार्यालय के प्रभावी संचालन हेतु बजट समस्याएँ

IV. प्रभावी शैक्षिक निरीक्षण हेतु संसाधनों की समस्याएँ

V. प्रभावी सूचना तंत्र की समस्या

- प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता
  - I. प्रशासकीय आवश्यकता
  - II. अकादमिक आवश्यकता
- प्रशासकीय आवश्यकता
  - I. वित्तीय प्रशिक्षण
  - II. कार्यालय प्रबंधन
  - III. सेवा नियमावली
  - IV. पब्लिक डीलिंग
  - V. द्वन्द समाधान
  - VI. स्थलीय प्रशिक्षण
- अकादमिक प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता
  - I. कौशल संवर्धन
  - II. प्रोटोकाल एवं विधिक प्रशिक्षण

मूल्यांकन एवं विराम सत्र – **(3.45 pm - 5.00 pm)**

निदेशक अकादमिक द्वारा मूल्यांकन सत्र में विचारों की साझेदारी

मूल्यांकन व विराम सत्र में निदेशक अकादमिक, शोध एंव प्रशिक्षण डॉ कुसुम पन्त द्वारा कहा गया कि बहुत से अच्छे कार्य करने वाले हैं। इन कार्यों को प्रसारित किया जाना आवश्यक है तभी वास्तविक नेतृत्व प्रदर्शित होगा।

प्रो0 नजमा अख्तर ने कहा कि फॉलोअप किसी भी कार्यक्रम की सफलता हेतु जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की एक प्रशिक्षण नीति होनी चाहिए। प्रशिक्षण कब–कब व कहाँ–कहाँ आवश्यक हैं इस

हेतु न्यूपा के साथ मिलके कार्य किया जा सकता है। साथ ही नियमित डिप्लोमा कार्यक्रम (लघु अवधि व दीर्घ अवधि कोर्स) भी संचालित किए जा सकते हैं।

कार्यशाला के विराम से पूर्व सचिव विघालयी शिक्षा श्री पांडियन ने कहा कि हमें अपनी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें मूलभूत जानकारी नहीं होगी तब तक ñResult oriented performanceò कैसे प्राप्त होगी? हम में निर्णय लेने की योग्यता होनी चहिए। 90 प्रतिशत समस्याओं को विद्यालय स्तर पर ही हल किया जा सकता है बस एक पहल व प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। अंत में उन्होंने कहा कि भविष्य मे इसी प्रकार न्यूपा के साथ मिलकर शिक्षा की दशा में सुधार हेतु संयुक्त प्रयास किए जाएँगे।

सचिव विद्यालयी शिक्षा द्वारा सत्र का समापन

आवास व्यवस्था :–

शिक्षा अधिकारियों के आवास व्यवस्था हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम होटल द्रोण, ऑफीसर्स ट्रांजिट हॉस्टल एवं सीमैट छात्रावास निर्धारित किए गए। जिला शिक्षा अधिकारियों व खण्ड शिक्षा अधिकारियों (पुरूष) की आवास व्यवस्था होटल द्रोण में, उपशिक्षा अधिकारियों (पुरूष) की व्यवस्था सीमैट छात्रावास में जबकि महिला शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था ऑफीसर्स ट्रांजिट हॉस्टल में की गई। आयोजन संबंधित आवासों से सम्मेलन के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तक आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था की गई थी।